राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में

2012 का विधेयक संख्यांक ३२

[दि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल (अमेंडमेंट) बिल, 2012 का हिन्दी अनुवाद]

सशस्त्र बल अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 का संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 8 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

2007 का 55

2. सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि ।

"8. अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, उस हैसियत में पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा किन्तु वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे :

परन्तु कोई भी अध्यक्ष,--

(क) यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है तो सत्तर वर्ष की आयु ; और

(ख) यदि वह किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है तो सड़सठ वर्ष की आयु,

प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि कोई भी न्यायिक सदस्य, सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे न्यायिक सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह भी कि कोई भी प्रशासनिक सदस्य, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे प्रशासनिक सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा ।" ।

धारा 19 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति ।

"19. अधिकरण को अपने अवमान के लिए वही अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार होंगे और उनका प्रयोग करेगा जो उच्च न्यायालय को हैं और जिनका वह प्रयोग करे और इस प्रयोजन के लिए न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के उपबंध 1971 का 70 निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन प्रभावी होंगे—

(क) उसमें किसी उच्च न्यायालय के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे अधिकरण के प्रतिनिर्देश भी है ;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 15 में एडवोकेट जनरल के प्रतिनिर्देश का सशस्त्र बल अधिकरण के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह एडवोकेट जनरल या महा-सालिसिटर या अपर महा-सालिसिटर के प्रतिनिर्देश भी है ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अध्यधीन व्यक्तियों के बारे में कमीशन, नियुक्तियों, अभ्यावेशनों और सेवा की शर्तों की बाबत विवादों और शिकायतों का सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए उपबंध करने तथा उक्त अधिनियमों के अधीन आयोजित सेना न्यायालय के आदेशों, निष्कर्षों या दंडादेशों से उत्पन्न अपीलों का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए 2007 में अधिनियमित किया गया था ।

2. सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 तीनों सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) के सदस्यों को शीघ्र और कम खर्चीला न्याय प्रदान करने की दृष्टि से 15 जून, 2008 से प्रवृत्त हुआ । सशस्त्र बल अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ ने 10 अगस्त, 2009 को दिल्ली में कार्य करना आरंभ किया । तत्पश्चात् उक्त अधिकरण की क्षेत्रीय न्यायपीठों ने आठ स्थानों पर, अर्थात् जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, चैन्नई, कोच्चि और मुम्बई में भी कार्य करना आरंभ कर दिया है ।

3. सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम की धारा 8 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य उस तारीख से जिसको वह पद धारण करता है, चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा । तथापि कोई भी अध्यक्ष उस रूप में (क) उसके उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की दशा में सत्तर वर्ष; और (ख) उसके किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति होने की दशा में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा । इसमें यह उपबंध भी है कि न्यायिक और प्रशासनिक दोनों सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेंगे । न्यायिक सदस्य अपनी पदावधि को पूरा नहीं कर रहे हैं और इसलिए अधिकरण में नियमित आधार पर बारंबार रिक्तियां हो रही हैं ।

4. अतः अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि को, उस तारीख से जिसको वह पद धारण करता है, परिवर्तित करके चार वर्ष से पांच वर्ष किया जाना प्रस्तावित है और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होने की दशा में अध्यक्ष की आयुसीमा को पैंसठ वर्ष से बढ़ाकर सड़सठ वर्ष किया जाना भी प्रस्तावित है । सदस्यों का अल्पावधि के लिए बार-बार चयन किए जाने का परिवर्जन करने के लिए, जिससे अधिकरण को स्थायित्व और निरंतरता प्रदान की जा सके, न्यायिक सदस्यों की आयु-सीमा को पैंसठ वर्ष से बढ़ाकर सड़सठ वर्ष किया जाना भी प्रस्तावित है ।

5. सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम की धारा 19, अधिकरण को केवल आपराधिक अवमान के लिए न कि सिविल अवमान के लिए, दंड देने के लिए समर्थ बनाती है । उपर्युक्त अधिनियम के वर्तमान रूप में अधिकरण द्वारा अंतिम रूप से पारित आदेशों के निष्पादन के लिए कोई उपबंध नहीं है । जिसके परिणामस्वरूप लोक महत्व के विधि के गंभीर प्रश्नों वाले मामलों को समुचित निदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष ले जाना होता है । इसलिए उक्त अधिकरण को आपराधिक अवमान की विद्यमान शक्तियों के अतिरिक्त सिविल अवमान की शक्तियां प्रदत्त करना भी प्रस्तावित है । प्रस्तावित संशोधन उक्त अधिकरण को अपने अवमान के लिए वही अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार देगा जो उच्च न्यायालय को प्राप्त हैं और जिनका वह प्रयोग करे और इस प्रयोजन के लिए न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के उपबंध विधेयक में उल्लिखित कतिपय उपांतरणों के अध्यधीन प्रभावी होंगे ।

6. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
25 जून, 2012

ए०के० एंटनी

उपाबंध

सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 55) से उद्धरण

* * * * * *

पदावधि ।

8. अध्यक्ष या कोई सदस्य, उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कोई भी अध्यक्ष,--

(क) यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, तो सत्तर वर्ष की आयु ; और

(ख) यदि वह किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है, तो पैंसठ वर्ष की आयु,

प्राप्त करने के पश्चात् उस हैसियत में पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि कोई अन्य सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

* * * * * *

अवमानना के लिए दण्ड देने की शक्ति ।

19. (1) कोई व्यक्ति, जो अपमानजनक या धमकी युक्त भाषा का प्रयोग करते हुए, या अधिकरण की कार्यवाहियों में कोई अवरोध या विघ्न डालते हुए, अधिकरण के अवमान का दोषी है, दोषसिद्धि पर कारावास का जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, भागी होगा ।

(2) इस धारा के अधीन किसी अपराध का विचारण करने के प्रयोजनों के लिए, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 14, धारा 15, धारा 17, धारा 18 और धारा 20 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें-- 1971 का 10

(क) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश अधिकरण के प्रतिनिर्देश है ;

(ख) मुख्य न्यायमूर्ति के प्रतिनिर्देश अध्यक्ष के प्रतिनिर्देश है ;

(ग) न्यायाधीश के प्रति निर्देश अधिकरण के न्यायिक या प्रशासनिक सदस्य के प्रतिनिर्देश है ;

(घ) एडवोकेट जनरल के प्रतिनिर्देश अभियोजक के प्रतिनिर्देश है ;

(ङ) न्यायालय के प्रतिनिर्देश अधिकरण के प्रतिनिर्देश है ।

* * * * * *

MGIPMRND—1956RS(CRC)—06-08-2012.